महत्वपूर्ण एवं खास

प्रेक्षक तापस राय ने उप तहसील कोसीर क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक तापस राय ने मतदान केन्द्र कोसीर, भाठागांव, सिंघनपुर, भदरा, पासीद और मल्दा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राय ने वेब कैमरा 24 घंटे नियमित रूप से चालू रखने और वेब कॉस्टिंग कैमरा की ऊंचाई बढ़ाने और रिसेट करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान राय ने कहा कि 10 से 15 लोगों को वोटर स्लिप वितरण नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर सीईओ सारंगढ़ संजू पटेल, लाइजनिंग अधिकारी हीरादास भारद्वाज उपस्थित थे।

व्यय प्रेक्षक रत्नेश कुमार सिंह ने प्रत्याशियों के व्यय लेखा का किया मिलान

सारंगढ़ बिलाईगढ़। व्यय प्रेक्षक रत्नेश कुमार सिंह ने विधानसभा सारंगढ़-17 और बिलाईगढ़-43 के सभी अभ्यर्थियों के व्यय लेखा का मिलान जनपद पंचायत सारंगढ़ में किया। इस दौरान सभी सहायक व्यय प्रेक्षक, अभ्यर्थी और उनके एजेंट उपस्थित थे।

घर से नकदी सहित हजारों रुपए के सामान पार

रायपुर (आरएनएस)। सीतानगर गोगांव स्थित मकान से अज्ञात चोर ने नकदी 15 हजार सहित चांदी के जेवर व मोबाइल पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर गुढियारी पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी चैतराम साहू 47 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि 13 नवम्बर की रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के मध्य अज्ञात चोर प्रार्थी के घर में प्रवेश किया और पूजा कमरा में रखे नकदी 15 हजार सहित चांदी के जेवर व मोबाइल पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब 28 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर गुढियारी पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

आज शाम 5 बजे से बंद होंगी देशी-विदेशी शराब दुकानें

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। चुनाव के मद्देनजर तथा सुरक्षा व शांति बनाए रखने आज शाम 5 बजे से समस्त देशी-विदेशी शराब दुकानें और बीयर बार आदि बंद हो जाएंगे। प्रदेश में होने वाले मतदान को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्टरों ने निर्देश जारी करते हुए आज शाम से शराब दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी होटल, क्लब और बार को भी शराब परोसने की अनुमति नहीं रहेगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए शराब दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

आंगनबाड़ी सहायिका हुई बर्खास्त

जांजगीर-रायपुर(आरएनएस)। शिवरीनारायण के वार्ड नंबर 6 की एक आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा भाजपा के घोषणा पत्र के अनुरूप महिलाओं को 12 हजार रूपए देने के वादे संबंधित फार्म भरवाए जाने की सूचना मिलते ही संबंधित सहायिका को बर्खास्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 12 हजार रुपए देने का वादा किया है। इसके लिए फार्म भरवाया जा रहा है, इस कार्य में नवागढ़ परियोजना के शिवरीनारायण के वार्ड नंबर 6 के एक आंगनबाड़ी की सहायिका देवकुमारी कर्ष भी यह फार्म महिलाओं से भरवा रही थी। इसकी शिकायत के बाद जांच की गई, जांच में शिकायत सही पाए जाने पर आंगनबाड़ी की सहायिका पर उक्त कार्रवाई की गई है। विधानसभा चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों ने महिलाओं के लिए खास घोषणा की है। भाजपा ने महतारी वंदन योजना के तहत विवाहिता महिला को प्रति माह एक हजार और साल में 12 हजार रुपए देने की घोषणा की है। भाजपा इसका एक फॉर्म भी घर-घर जाकर भरवा रही है। फॉर्म भरवाने वालों में भाजपा कार्यकर्ता तो हैं ही, समूह की महिलाओं व आंगनबाड़ी में कार्य करने वालों को भी शामिल कर लिया गया है।

विधानसभा निर्वाचन में 24 मतदान केन्द्र बनेंगे आदर्श मतदान केन्द्र

- सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10-10 संगवारी मतदान केन्द्र, और 1-1 मतदान केन्द्र दिव्यांग और युवा मतदान केन्द्र

सारंगढ़-बिलाईगढ़। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर लगभग पूरी की जा चुकी है। जिले के सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 651 मतदान केन्द्र है। इन 651 मतदान केन्द्रों में 20 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए है। यह 20 संगवारी मतदान केन्द्र 10 सारंगढ़ विधानसभा और 10 बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होगा। इसी प्रकार इन दोनों विधानसभा में 1-1 मतदान केन्द्र दिव्यांग और 1-1 मतदान केन्द्र युवा प्रबंधित मतदान केन्द्र बनाया जाएगा। दिव्यांग मतदान केन्द्र में सभी अधिकारी-कर्मचारी दिव्यांग होंगे इसी प्रकार युवा प्रबंधित मतदान केन्द्रों में युवा अधिकारी होंगे। इन सभी 24 मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र के रूप में तैयार किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के आदेशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देश पर 24 मतदान केन्द्रों का चयन कर तैयारी कर लिया गया है।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए महिलाओं, दिव्यांगों व युवाओं सहित सभी नागरिकों के लिए और अधिक समावेशी और सहभागी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने बताया कि संगवारी मतदान केन्द्रों पर महिलाओं द्वारा ही पीठासीन अधिकारी और मतदान से संबंधित अन्य कार्यों को संपादित किया जाएगा। जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संगवारी मतदान केंद्र स्थापित किए गए है।

सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा में 10.10 संगवारी मतदान केंद्र- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सिद्दीकी ने बताया कि सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें सभी मतदान अधिकारी महिलाएं होंगी। जिन मतदान केन्द्रों में संगवारी मतदान महिला कर्मियों द्वारा प्रबंधन के लिए चिन्हांकित किया गया है, यह मतदान केन्द्र इस प्रकार हैं। सारंगढ़ विधानसभा में मतदान केन्द्र क्रमांक-156 कन्या शा.उ.मा.शा सारंगढ़, मतदान केन्द्र क्रमांक- 243 प्रा. शा. कंचनपुर ,मतदान केन्द्र क्रमांक- 262 प्रा. शा. झनकपुर, मतदान केन्द्र क्रमांक- 263 कन्या प्रा. शा. बरमकेला, मतदान केन्द्र क्रमांक- 265 मा. शा. खरवानी-1, मतदान केन्द्र क्रमांक- 266 मा. शा. खरवानी-2, मतदान केन्द्र क्रमांक- 267 कन्या मा. शा. खरवानी-3, मतदान केन्द्र क्रमांक- 268 कन्या मा. शा. खरवानी-4, मतदान केन्द्र क्रमांक- 269 पूर्व मा. शा. लिंजिर, मतदान केन्द्र क्रमांक-272 प्रा. शा. बुदेली को संगवारी मतदान केन्द्र बनाया गया है।

इसी प्रकार बिलाईगढ़ विधानसभा में मतदान केन्द्र क्रमांक- 29 शा. पूर्व. मा. शा. भवन टुण्ड्री, मतदान केन्द्र क्रमांक- 43 शा. कन्या पूर्व मा. शा. पवनी, मतदान केन्द्र क्रमांक- 205 शा. पूर्व मा. शा. बिलाईगढ़, मतदान केन्द्र क्रमांक- 66 शा. उ. मा. भवन बेलटिकरी, मतदान केन्द्र क्रमांक. 173 शा. पूर्व मा. कन्या शाला भटगांव, मतदान केन्द्र क्रमांक- 158 शा. प्रा. शा. भवन गोपालपुर, मतदान केन्द्र क्रमांक- 148 शा. प्रा. शा. भवन भिनोदी, मतदान केन्द्र क्रमांक- 128 शा. प्रा. शाला सरसींवा, मतदान केन्द्र क्रमांक- 122 शा. प्रा. शा. भवन कोदवा, मतदान केन्द्र क्रमांक- 114 शा. पूर्व मा. शा. भवन पेण्ड्रावन को संगवारी मतदान केन्द्र बनाया गया है।

दिव्यांग कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केन्द्र- जिले के सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 01-01 दिव्यांग कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केन्द्र बनाया गया है। इन मतदान केन्द्रों में विधानसभा सारंगढ़ के मतदान केन्द्र क्रमांक 169 स्वा. आ. अंग्रेजी स्कूल सारंगढ़ और विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के मतदान केन्द्र क्रमांक 169 आदर्श प्रा. शाला भवन भटगाँव शामिल है।

युवा प्रबंधित मतदान केन्द्र- जिले के सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 01-01 युवा प्रबंधित मतदान केन्द्र बनाया गया है। इन मतदान केन्द्रों में विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ के मतदान केन्द्र क्रमांक-175 प्रा. शाला सहसपुर और विधानसभा बिलाईगढ़ के मतदान केन्द्र क्रमांक.199 शा. पूर्व मा. शा. भवन गोविंदवन शामिल है।

17 को होने वाले मतदान के लिए थमा चुनावी प्रचार

- लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर रहेगा प्रतिबंध
- सार्वजनिक सभा और जुलूस का नहीं होगा आयोजन
- प्रिंट मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन और प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने से पहले पूर्व प्रमाणन करना जरूरी

रायपुर (आरएनएस)। मतदान दिवस के अंतिम 48 घंटों में चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन के द्वितीय चरण के मतदान से 48 घंटे पहले बुधवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, 15 नवंबर को शाम 5 बजे से 17 नवंबर, मतदान के समापन तक 48 घंटे की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के वाहनों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही इस दौरान धारा 135 सी के तहत शराब की दुकानों को बंद रहने का आदेश जारी किया है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव से 48 घंटे पहले, निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहने वाले राजनीतिक पदाधिकारियों पर प्रतिबंध रहेगा और आखिरी 48 घंटे में विश्राम गृह के कमरों की आवंटन की प्रक्रिया नहीं होगी। इस दौरान सभी दलों और उम्मीदवारों को मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के दौरान सार्वजनिक सभा और जुलूस का आयोजन नहीं करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही इस अवधि में उम्मीदवार सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन, या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी संबंधित सामग्री को जनता के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकता है।

इसी प्रकार किसी भी जनमत संग्रह या एक्जिट पोल के परिणामों को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी साधन के माध्यम से प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और प्रिंट मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन या प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने से पहले पूर्व प्रमाणन करना अनिवार्य है।

नौकरी लगाने का झांसा देकर 48 लाख की ठगी करने वाले सहायक शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा जिले के बालको क्षेत्र पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 48 लाख रूपये के ठगी करने के मामले में एक सहायक शिक्षक को गिरफ्तार किया हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कथित आरोपी वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला जूनापारा, बेलढाप (उदयपुर) जिला सरगुजा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ है, जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ प्रार्थी से वर्ष 2020 में कोरबा तहसील में क्लर्क के पद में नौकरी लगाने का झांसा देकर प्रार्थी से 7.5 लाख रूपए लेकर ठगी कर फरार हो गए, लंबे समय तक नौकरी नहीं लगने से प्रार्थी ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के निर्देशानुसार बालको थाना प्रभारी लक्ष्मण खूंटे के निर्देश पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए कथित आरोपी के विरुद्ध धारा 420, 34 भादवि के तहत विधिवत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। इस मामले में कथित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर ले लिया गया है वहीं उसके अन्य साथी अभी भी फरार बताये जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है।

37 हाथियों के दल ने फसलों को किया नुकसान

कोरबा (आरएनएस)। वनमंडल कोरबा के कुदमुरा रेंज में 37 हाथियों का दल एक बार फिर धरमजयगढ़ क्षेत्र से पहुंच गया है। आधी रात को अचानक धमके हाथियों के इस दल ने रेंज के ग्राम गुरमा में उत्पात मचाते हुए बड़ी मात्रा में फसल को रौंद दिया है। फसल रौंदने के बाद हाथियों का दल जंगल पहुंचा और वहां डेरा जमा दिया।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में हाथियों के पहुंचने से विभाग अलर्ट हो गया है। गुरमा तथा आसपास के गांव में मुनादी कराने के साथ ही ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में हाथी घूम रहे हैं अतरू इससे दूरी बनाए रखने किसी भी हालत में हाथियों को देखने की चेष्टा न करें। इस बीच सरगुजा जिले से भी एक लोनर हाथी की आमद केंदई रेंज में हुई है। रात में पहुंचे लोनर हाथी ने रेंज के अरसिया गांव में उत्पात मचाते हुए आधा दर्जन ग्रामीणों के फसल को मटियामेट कर दिया। वन विभाग का अमला सूचना मिलने पर आज सुबह अरसिया पहुंचकर लोनर द्वारा किये गए नुकसानी का आंकलन शुरू कर दिया है। 60 हाथियों का दल कोरबी सर्किल में पहले से डेरा डाला हुआ है। हाथियों का यह दल फिलहाल शांत है लेकिन देर सबेर उत्पात की संभावना को देखते हुए वन विभाग हाथियों की लगातार निगरानी में जुटा हुआ है।

चुनाव प्रचार में संलग्न बाहरी मतदाता का क्षेत्र में ठहरने पर प्रतिबंध

- कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने जारी किया आदेश

सारंगढ़ बिलाईगढ़। विधानसभा निर्वाचन 2023 के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में बाहरी व्यक्तियों, अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र में आवागमन पर प्रतिबंध किया गया है। किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल द्वारा सामूहिक भोज, रसोई का आयोजन नहीं किया जाए। अतिथि भवनों और धर्मशालाओं को भी सतर्कता में रखा जाए ताकि राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को किसी भी तरीके से प्रभावित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाए। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति, समूह या राजनीतिक, गैर राजनीतिक दलों को लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। मतदान समाप्ति तक लाउडस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। कोई भी 05 से अधिक व्यक्तियों का क्षेत्र में एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का प्रत्येक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में बाहरी सशस्त्र बल एवं सुरक्षा बल, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मी, एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सेवा पर लागू नहीं होगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा

लॉज के मालिकों, मैनेजरों को ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित में तत्काल प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश के उल्लंघन पर छह माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।

वोटर टर्नआउट एप से मिलेगी 17 को मतदान प्रतिशत की अद्यतन जानकारी

- राज्यवार, जिलावार और विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रवार वोटर टर्नआउट का ले सकते हैं अपडेट

रायपुर (आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग के मोबाइल एप्लीकेशन 'वोटर टर्नआउट एप' के माध्यम से छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 17 नवंबर को मतदान प्रतिशत की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वोटर टर्नआउट एप के माध्यम से अनुमानित वोटर टर्नआउट को रियल टाइम में देखना बहुत आसान हो गया है। वोटर टर्नआउट एप में मतदान के दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वोटर टर्नआउट की जानकारी प्रदर्शित की जाती है।

वोटर टर्नआउट एप नागरिकों को संचयी वोटर टर्नआउट के साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग अनुमानित संचयी मतदाता प्रतिशत की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। निर्वाचन में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने और मतदान के दिन वोटर टर्नआउट की त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यह एप गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।

वोटर टर्नआउट एप को प्रत्येक राज्य के लिए अनुमानित वोटर टर्नआउट दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका प्रयोग जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक किया जा सकता है। मतदान के दिन इस पर राज्यवार, जिलेवार और विधानसभाक्षेत्रवार वोटर टर्नआउट का अपडेट देखा जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा यूथ हास्टल

- पर्यटन मंडल के संस्थानों में सदस्यों को सुविधा

कोरबा (आरएनएस)। साहसिक और रोमांचकारी गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण व अन्य उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों के लिए यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया देश में काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में पर्यटन मंडल के द्वारा संचालित संस्थानों में सदस्यों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ स्टेट चेयरमेन संदीप सेठ ने बताया कि यूथ हॉस्टल्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1952 में मैसूर में है। संगठन खेल एवं युवा कल्याण विभाग,भारत सरकार तथा इंडियन माउंटेन रिंग फाउंडेशन से मान्यता प्राप्त है ढ़ृढ संस्था का उद्देश्य युवाओं की यात्रा और पर्यटन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और सबसे कम दरों पर पर्यटन के दौरान स्वच्छ और सुंदर आवास प्रदान करना, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, प्रकृति अध्ययन, परिवार शिविर, नौकायन, रक्तदान, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान,वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी के दौरान मास्क ,सैनीटाइजर और जरुरी चिकित्सक सामग्री का वितरण करना इत्यादि है। हमारी गतिविधियों में भाग लेने के अलावा,सदस्यों को सदस्यता कार्ड के माध्यम से मिलने वाली आकर्षक छूट का भी लाभ मिलता है । यही नहीं, वे भारत में तथा अन्य राष्ट्रों में युवा छात्रावासों की सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार हैं, जो दुनिया भर के 90 देशों में फैले हुए हैं और वे अपने यात्रा बजट को कम कर सकते हैं। वर्तमान में संस्था का राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसके मार्गदर्शन में क्षेत्रीय कार्यालय और जिला इकाइयाँ सफलतापूर्वक काम कर रही हैं।

युथ हॉस्टल ट्रैकिंग , राइड एन्ड ट्रैक , रिव्हर हंट, पैरासेलिंग, साइकिल रेस, नशा मुक्ति पर पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता कराता रहा है। युथ हॉस्टल वन विभाग के साथ मिलकर जन जागरण कार्यक्रम भी चला रही है जिससे जंगलों में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने , वनों को आग से बचाने ,जल संरक्षण, पेड़ पौधों को काटने से बचाने आदि का संदेश फ्लेक्स के माध्यम से सभी पर्यटन स्थलों पर लगाया जा रहा है। संस्था से जुड़ें तथा युवा व्यक्तित्व विकास, पर्यावरण संरक्षण मे अपना योगदान देवें।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ताकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाय में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् उच्च पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

समी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU